

कार्यालयः

उचित प्राप्तिक विद्या परिषद्

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राप्तिक परिषद् सम्बद्धता 2021/3637

तिथि का दिनांक 09/08/2021

कार्यालय अधीक्षा

अधिकारी प्राप्तिक उपनीवी किया परिषद्, नई दिल्ली प्राप्तिकी कार्यालय की दृष्टिकोण, नई दिल्ली द्वारा दीक्षित सत्र 2021-22 हेतु विद्यालय संस्थानी की अनुमोदित प्राप्ति किये जाने के उपर्योग प्राप्तिक विद्या परिषद्, उत्तर प्राप्तिक सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्राप्ति किये जाने हेतु दिनांक - 08/08/2021, की परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता संभिति की दैत्यक मंजूरी हुई। दैत्यक में संभिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थानी की सम्बद्धता पूरी संभिति संस्थानी की सम्बद्धता विभाग- पाठ्यक्रम, प्रोग्राम क्षमता वृद्धि संहित अन्य मामी पर विभाग करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्राप्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता संभिति की दैत्यक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संख्या की प्राप्तिक विद्या परिषद्, उत्तर प्राप्तिक सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित रूपी के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रोग्राम क्षमता हेतु सम्बद्धता विभाग प्राप्ति की जाती है।

संख्या का कोड एवं नाम : 2045-SHIV NATH VERMA SMARAK MAHAVIDYALYA, VILL- DEVNAGAR (KHANPUR PILAI) SULTANPUR-228172

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	एवं अनुमोदित दैत्यक	परिषद् द्वारा सत्र
1	DIPLOMA IN PHARMACY	2021-22 हेतु अनुमोदित प्रोग्राम क्षमता	2021-22 हेतु अनुमोदित प्रोग्राम क्षमता

सम्बद्धता हेतु रूपी

- ✓ संख्या 2045-शिवनाथ वर्मा स्मारक द्वारा निर्धारित की गयी सभी रूपी का पूर्वक पाठ्यक्रम करेंगी।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राप्तिक विद्या परिषद् एवं 1802 तथा प्राप्तिक विद्या परिषद् नियमित्याली 1992, संघरेत विनियमाली-2016 तथा अन्य नियमित नियमों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेंगी तथा युक्त नियरित नियमित द्वारा नियमित युक्त तीन रूपीय रूपीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो रूपीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो रूपीय पाठ्यक्रमों (दो रूपीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अन्तरिक्ष), हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष युक्त ही दैत्यक काठाकाला में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अन्तरिक्ष काठाकाला-में से युक्त के सम्बन्ध में सम्बन्ध-साध्य पर कालान् द्वारा नियमित किये जाने वाले सामान्यीकृत प्रभावी होंगे, और उत्तमतासाधनी से युक्त के सम्बन्ध में सम्बन्ध-साध्य पर कालान् द्वारा नियमित किये जाने वाले सामान्यीकृत प्रभावी होंगे। और उत्तमतासाधनी कार्यालयी किया जाना अनिवार्य होगा। यीकू नियरित नियमित द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागत होगी।

- ✓ संसद को उत्तम प्रतिपक्ष लिखा समर्थित तथा उप समर्थित, संसद को सम्बद्ध किया जाना। विशेषज्ञता-2000 की बारी का अनुचालन करने होगा।
- ✓ संसद में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारीत छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों के रिक्त रुप जाने की सिफारी में उत्तर प्रदेश वासिन के निटेंशानुसार ही प्रवेश वाली कार्रवाई ही जारी हो।
- ✓ संसद को समर्थ-सम्बद्ध पर निर्मित वास्तविकोद्धारणी-अईपी से अलगी सत्र हेतु अनुबोधन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ वास्तव उत्तर प्रदेश वासिन द्वारा बनाये गए विधिविभागी-अधिविभागी-वासिनादौरीनिटेशन एवं नियोजक, प्राविधिक लिखा, उत्तम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तम उप समितिपक्ष का विधिविभागी-वासिनादौरीनिटेशन एवं नियोजक, विनियोगी, आदेश, नियोजन का वातन लाने के लिये वापर होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्रवाई पाठ्यक्रम की संस्थाएं पर्दि वी.सी.आई.नटु दिल्ली से अनुबोधन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराधिकार संसद का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्रवाई के लिये संसद सभी उत्तराधिकारी होंगी। प्रतिपक्ष लिखा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिपक्ष लिखा नियोजकालय एवं विधिविभाग उत्तर प्रदेश वासिन को बाहु बाहु दावत किया जाता है तथा वापर वाद के संबंध में, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विरोधित संबोधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपक्ष-संसदीय संसद को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्रवाई पाठ्यक्रम गोपनीयता करने की संस्थाएँ तो संस्कृत प्रोफेशनल परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश वासिन द्वारा प्राप्ति का के लिए आयोजित प्राप्ति परीक्षा हेतु कार्डिनिलिंग प्राप्ति होने के पूर्व और्मी-अईपी से अनुबोधन प्राप्त कर वायिषद कार्रवाई की उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्डिनिलिंग के समान ही अवधि संसद वासिन पर लीये जाना) अनुचालन नहीं प्राप्तन की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश वासिन द्वारा प्राप्ति हेतु निर्गत नीतिकाल अनुबोधन नियमी का अनुचालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वैवाहिक एवं संसद की समाज सुव्यवाच जैसे सभी की सीधीहसीक पुष्टि भूमि, दूषक, वात, साला, उत्तराधिकार, वापत किया जाने का बहुत बहुत वासिन द्वारा अईपी का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संसद को विधिविभागी-संसदीय हेतु उत्तराधिकार वासिन उपलब्ध करने के साथ ऐसी दीक्षने के समान में समस्त आवश्यक वापत करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ते कि संसद में प्रसाकिति संबोधित पाठ्यक्रम को बदलवे जाने हेतु नियोजक समिति के समान उपलब्ध कराये गये अधिकारों, भूमि-भवन, कर्नीय, उपलब्ध इत्यादि का पर्दि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के समान हो जाएगा किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होती है कि संसद उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्रवाई के लिये कर रही है तो उत्तराधिकार संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरूपता की जायेगी।
- ✓ संसद के अन्तीम नियोजन दीर्घ समय वाले संसद में भूमि, भवन, प्रदीपायाता, उपलब्ध एवं अन्य सांस्कृतिक एवं आर्थिकीयी-वित्तीयी-अर्थीयादरिष्ट के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुचालन न होने अपना वाली का उत्तराधिकार जिवे जाने की जिमि में नियमानुसार अनुचालनवाक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनीत चूमार सौनकर)

संचित

卷之三

मार्गिन, प्राचीनिक शिल्प संरक्षण

संस्कृत विद्यालय

संस्कृत-भारतीयपरिवहन संस्कृत 1202230710

www.elsevier.com/locate/jmp

二十九

अस्थिर भावरीय लकड़ी की जिक्र परिचय, नई दिल्ली कार्यस्थी कार्यालय और हाइकोर्ट, नई दिल्ली द्वारा सैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्टीमा सारोंग एकनीकी जिक्रिया संस्कृत और तो अन्यौदान प्रधान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक जिक्र परिचय उठाया। सम्बन्धित सम्बद्धता विस्तार प्रधान किए जाने हेतु विनायक- 20.09.2022 को परिचय कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचय गई। बैठक में लॉभीटी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अवैदेह नई संस्कृती की सम्बद्धता पूर्व से संबलित संस्कृती की सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता युक्ति समिति अन्य घटों पर विचार करते सुने सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रधान किए जाने का निर्वाच लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में हिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संघर्ष को प्रारंभिक विभाग परिषद्, उप दू. लक्षणउद्घाटन संग 2022-23 हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें विभिन्न प्रयोग व्यवस्था हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्राप्त की जाती है।

सर्वांग का कोड यह नाम : 2045-SHIV NATH VERMA SMARAK MAHAVIDYALAYA

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए-आईडीसीटीएफ/पीएचीडी-आईडी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रयोग क्षमता	परिचालना सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रयोग क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

साम्बन्धित विषयों

- ✓ संसद दूर-आईलैन्डीलॉन्डीप्रैट्सीमार्टी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पुरीत पालन करेगी।
 - ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्रारंभिक विभाग परिषद एवं 1982 तथा प्रारंभिक विभाग परिषद दिनियमावधी 1982 द्विनियमावधी-2000, संमेलन दिनियमावधी-2016 तथा सम्बन्धित एवं निर्णय साक्षात्कारों का अनुसारत लाइन लाइन निर्धारण कर्मियों द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय दौरों प्रतिवर्ष में हेतु कर 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फारमीटी प्रत्यक्षकम देतु कर- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय प्रत्यक्षकमें (दो वर्षीय फारमीटी प्रत्यक्षक के अंतिरिक्त) हेतु कर-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक जातिवासी से प्राप्त विद्या लायेगा। उपरोक्त के अंतिरिक्त जातिवासी से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्धित एवं साक्षात् द्वारा निर्णय किये जाने वाले साक्षात्कारों प्रधारणी होगे और उपरोक्त कार्यालयों किया जाना आवश्यक होग। फीस निर्धारण कर्मियों द्वारा पारिदार्शक 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नईनीतम दरे लगू होंगी।
 - ✓ संसद में संयुक्त प्रदेश परिषद द्वारा आवंटित जाति को ही प्रोत्ता दिया जायेगा।
 - ✓ संसद को सम्बन्धित एवं निर्णय साक्षात्कारों के अनुसार निर्दीक्षित एवं सम्बद्धता सहत जाना जायगा होगा।

संख्यान उत्तर प्रदेश सासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/सासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक विधि, उपर्युक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपर्युक्त तथा प्राविधिक विधि परिषद, उपर्युक्त द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संख्यान का ए०-आईएसी०टी०इ०पी०सी०-आई० से अनुसूचित नियम किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संख्या का होगा और विधिक अन्य से किसी भी कार्यवाही के लिए संख्या स्वयं उत्तरदायणी होगी। प्राविधिक विधि परिषद, संघुका प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विधि निर्देशालय एवं प्राविधिक विधि विभाग उत्तर प्रदेश सासन के विषद् यदि कोई तात्पुरता प्रवेश परीक्षा विधि जाता है तथा द्वारा तात्पुरता के संबंध में मा, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिमूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समान प्रतिमूर्ति संबंधित संख्या की करनी होगी।
- ✓ संख्याओं के संघुक प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लक्षणक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कार्यालयिता प्रारंभ होने के बहुत ए०-आईएसी०टी०इ०पी०सी०-आई० से अनुसूचित नियम कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयिता के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सोधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समाचार समाचार पर निर्गत नदीनहम आक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संख्या को अपने लेक्साइट पर संख्या की समस्त सूचनाएं ऐसे संख्या की छुटिलाईक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मूल्क, छात्रावास मूल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संख्या की विक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वालावरण उपलब्ध करने के साथ ऐसी रीकाने के समस्त आवश्यक वस्त्राला सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संख्या यह सुनिश्चित हो जे कि संख्या में प्रकल्पित संचालित वालाक्रम लो चली जाने हेतु निरीक्षण समिति के समग्र उपलब्ध कराये गये अधिकैसु, भूमि-भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संख्या द्वारा किसी अन्य घातकक्रम के संचलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संख्या उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तलाक संख्या की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संख्या के औचक उपलीँ निरीक्षण के द्वारा यदि संख्या में भूमि, भवन, प्रयोगवाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०-आई०सी०टी०इ०पी०सी०-आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संख्या की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता हाती का अनुपालन न किये जाने अपका याती का उत्तरान किये जाने की स्थिति में नियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(ए०-आर० सान)

संचिद

पृष्ठ०- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2022/8786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्राविधिकी:

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHIV NATH VERMA SMARAK MAHAVIDYALYA



(ए०-आर० सान)

संचिद

四

मानिस, प्राकृतिक विषया परिचय

संग्रह अनुदान समिति

संस्कृत-प्राचीन वर्णना केन्द्र 2023/12000001

प्रकाश दिनांक: 13-09-2023

-३०८-

अधिक भारतीय लकड़ी की शिक्षा परिषद् एवं कार्यक्रम कार्त्तिक और दृष्टिया, नई दिल्ली द्वारा सीधे करा 2023-24 हेतु पूर्व से समर्थित विद्योंमा शारीर तकनीकी शिक्षण संस्थानों की अनुबूद्धिमत्त विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, उ. डॉ. लक्ष्मणदत्त दी समझदाता विद्यार्थी प्रदान किया जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 22-08-2023 को परिषद् कार्यालय दी समझदाता समिति की बैठक संचय चुनी। बैठक में करा 2023-24 हेतु अधिक भारतीय लकड़ी की शिक्षा परिषद् कार्यक्रम कार्त्तिक और दृष्टिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों की प्रदान अनुबूद्धिमत्त विस्तार प्रदान समझदाता समिति द्वारा संचय गए नियम के अनुक्रम में संस्थानों को समझदाता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय दिया गया।

समव्युत्पादन तंत्रिका में लिये गये निर्णीति के अनुकूल में नियुक्त संस्था की प्रारंभिक विकास वर्ष, ३० अप्रैल २०२३-२४ हेतु नियोजित रातीं के अधीन प्रत्याहारण एवं उत्तरी अक्षित छोर लम्बात हेतु समव्युत्पादन विकास प्रयत्न की जाती है।

Digitized by srujanika@gmail.com - 2015-05-19 10:54:54 AM

प्रक्रिया	प्राप्तिक्रम का नाम	ए-डायरेक्टरीसीटी/ दीवाली-आई द्वारा मध्य 2023-24 से शुरू करनीचाही परियोग का	परिषद द्वारा मध्य 2023- 24 से शुरू करनीचाही परियोग का
1. DIPLOMA IN PHARMACY		60	60

四庫全書

करने के हिते जापता है।

- ✓ यह संस्थान का अधिक भारतीय तकनीकी विद्या परिषद्युपायमेंसी कार्डिनेल और इडिया, नई दिल्ली में अनुबादन निरसा विद्या जल्द हो तो इस ग्राह्य में गमन उत्तराधिक संस्था का होगा और विशिष्ट स्वयं से किसी भी कानूनीही के लिए संस्था विद्या उत्तराधिक होगी। प्राविधिक विद्या परिषद्, संघरूप परिषद् परिषद्, प्राविधिक विद्या विद्यालय एवं प्राविधिक विद्या विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यदि कोई वार दायर विद्या जात हो तो वार दायर वार के नंबर में मा. नामांकन द्वारा किसी प्रकार की विवरणीय सारणी आदेश निर्णय लिख दायर हो तो गमन प्राविधिक राजसीक संस्था को बतायी होगी।
- ✓ संस्थाजी से संभूता प्रवेश परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए सार्वजनिक प्रवेश परिषद् हेतु जाइनेटेशन ग्राउंड होने के पूर्व अन्तिम भवित्वीय तकनीकी विद्या परिषद्युपायमेंसी कार्डिनेल और इडिया, नई दिल्ली में अनुबादन प्राप्त वार परिषद् कामरेताप की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनका हेतु समाप्त समाप्त पर निर्णय भवित्वात्मक आवश्यक निपट्मी का अनुदान करना जापता होगा।
- ✓ संस्था की अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक विद्या के युजराइक पीटेंट पर संस्था की समस्त सूचाएँ जैसे संस्था की एक्सामिनेशन पूर्ण प्राप्ति, स्कूल, संस्था-संस्था, उत्तराधिक, ग्राह्य विद्या जाने वाला यूनिक, वारांशाला यूनिक जाति का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की विद्या-प्राविधिक हेतु उपयुक्त वारांशाला उपलब्ध कराने के साथ ऐसी लेकरे के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक अवधारणा जुनिका बनायी होगी।
- ✓ जल्द यह सुनिश्चित हो तो कि संस्था में घटावारात्मक आवश्यक वारी वाली जाने हेतु निरीक्षा बारीमति के सम्बन्ध उपलब्ध कराने वाले अधिकारी, भूमि-भवान, यार्सीया, उत्तराधिक द्वारा ही का पद्धि संस्था द्वारा किसी भग्न प्राकृतिकम के संवालन में प्रदूषित किया जाता है और परिषद् की इसकी जानकारी होती है कि साथ उपरोक्त का प्रदूषित किसी अवधारणा के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त विद्या जाने की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश-प्राविधिक विद्या (समितीया और उत्तराधिकीय, संस्कृती का समझ विद्या जना) विनियोगी, 2003 के घटावारात्मक परिषद् की ओर पर अपने कार्यालयी, भवनों और पालनीय का परिषद् की विद्या के संवालन के लिए परिषद् के अधिकार वे रखेंगी।
- ✓ संस्था के औपकरण स्वतीय निरीक्षण के द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवान, प्राकृतिकम, उपकरण एवं अन्य सावधान्य 100%प्राप्तीपूर्णीयांगीर्धपरिषद् के नामांकनामुकार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दे जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता होने का अनुसार न लिये जाने अवधारणा का उत्तराधिक विद्या जाने की सिंको में नियामनामुक अनुसारानुसार जापता होगी।


(अधीक्षित कुमार मिश्र)

संचित

पृष्ठां- प्राविधिक/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिरिप्ति:-

प्रकाशनार्थीप्रिदेशी SHIV NATH VERMA SMARAK MAHAVIDYALYA


(अधीक्षित कुमार मिश्र)

संचित